[redacted]

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0217 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/09/2024 15:55 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	409
5	भा दं सं 1860	420
6	भा दं सं 1860	467
7	भा दं सं 1860	468
8	भा दं सं 1860	471
9	भा दं सं 1860	477-A
10	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2005 **Date To (दिनांक तक):** 31/03/2015

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/09/2024 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 27/09/2024 15:55:02 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 75 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): GRAM PANCHYAT KHANGTA, PANCHYAT SAMITI PIPAR SAHAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAMNARAYAN CHODHARY

(b) Father's Name (पिता का नाम): PUSARAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1970 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHANGTA, PIPAR, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHANGTA, PIPAR, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUKHDEV SENGWA		पिता:DAYARAM SENGWA	1. GHANAMAGARA,BILARA,BILARA,JODHPUR
2	TEJARAM		पिता:GANGARA M	1. DEVANIYA,SHERGARH,SHERGARH,JODHPUR
3	RAMCHANDER CHODHARY		पिता:UMARAM CHODHARY	1. SARSWATI NAGAR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA
4	RAMNIWAS CHODHARY		पिता:MULARAM PANGA	1. RADHOD,BHOPALGARH,BHOPALGARH,JODHPUR
5	RAJESH KUMAR MEENA		पिता:KALYAN SAHAY MEENA	1. AAU,फलौदी,RAJASTHAN, INDIA
6	BARKAT ALI		पिता:BABU KHAN	1. SUBASH GHAT KE PASS,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
7	RAMNIWAS PRAJAPAT		पिता:SUKHARAM	1. BAGORIYA VAYA BHOPALGARH,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
8	MAHIPAL PICHKIYA		पिता:RAMDEEN	1. KHANGTA PANCHAYT,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
9	JHUMRARAM		पिता:GHAMNDARAM	1. KHANGTA,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
10	KAILI DEVI		पत्नी:KHERAJRAM MUNDEL	1. KHANGTA,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
11	BHIYARAM SOMRAD		पिता:PUNARAM JAT	1. SATHIN,PANCHYAT SAMITI BHOPALGARH,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
12	BUDHARAM		पिता:NARU RAM JAT	1. HEERADESAR,BHOPALGARH,BHOPALGARH,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
13	MANGI LAL		पिता:GEPRARAM	1. KHANGTA,PIPAR SAHAR,PIPAR

				RURAL,RAJASTHAN,INDIA
14	PARASRAM AND OTHERS		पिता:PABURAM MEGHWAL	1. KHANGTA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,94,697.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,94,697.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय निवेदन है कि परिवादी श्री रामनारायण पुत्र श्री पुसाराम निवासी ग्राम खांगटा जिला जोधपुर द्वारा एक परिवाद ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित कर ग्राम पंचायत खांगटा के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा ग्राम पंचायत खांगटा क्षेत्र में करवाये गये विकास कार्यो में अनियमितता कर राशि का गबन किये जाने के आरोप अंकित किये गये थे। जिस पर ब्यूरो मूख्यालय द्वारा उक्त परिवाद पर ब्यूरो में परिवाद संख्या 116 /2019 दर्ज किया जाकर उक्त परिवाद का सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि श्री झुमर राम मेघवाल तत्का0 सरपंच श्री बरकत अली तत्का0 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खांगटा पंचायत समिति भोपालगढ एवं अन्य द्वारा आपसी मिलीभगत कर आपराधिक षडयन्त्र पूर्वक ग्राम खांगटा में मण्डी से रामचन्द्र सुनार के मकान तक करवाये गये सीमेन्ट ब्लाक निर्माण कार्य में मौके पर 1,09,590 /- रूपये का ही कार्य करवाये जाने के बावजूद राजकोष को अनुचित आर्थिक हानि कारित करने के उद्धेश्य से उक्त कार्य की स्वीकृति राशि के अनुरूप कार्य करवाये जाने के मिथ्या दस्तावेज तैयार कर 1,49,595/-रूपये का भुगतान राजकोष से प्राप्त कर 40,409/- रू0 का गबन कर राजकोष को अनुचित आर्थिक हानि कारित की गई है। इसी प्रकार परिवादी श्री रामनारायण द्वारा प्रेषित शिकायत पर परिवाद संख्या 118 /2019 दर्ज किया जाकर सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि वर्ष 2012 में आरोपीगण श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा तत्कालीन पंचायत समिति भोपालगढ हाल पंचायत समिति पीपाड शहर एवं श्री रामनिवास तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी खांगटा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आपराधिक षडयंत्र रचकर मिलीभगत कर ग्राम पंचायत खांगटा मे पंचायतीराज योजना के तहत करवाये गये बस स्टेण्ड से जयरुप गोदारा के घर तक पीवीसी पाईप बिछाने के कार्य हेतु पंचायत समिति भोपालगढ से मस्टरोल संख्या 71467 जारी करवाया जाकर उक्त मस्टरोल के क्रमं संख्या 02 पर अंकित श्री धनगिरी पुत्र श्री मोहनगिरी द्वारा उक्त कार्य नही किये जाने के उपरान्त भी उक्त श्रमिक का नाम उक्त मस्टरोल के क्रम संख्या 02 पर फर्जी अंकित कर दिनांक 01.10.2012 से 15.10.2012 तक 13 दिन उक्त श्रमिक की फर्जी हाजरी मस्टरोल मे दर्शाकर उक्त मस्टरोल मे उनके नाम के सामने के का0लम मे भुगतान प्राप्त करने वाले के फर्जी हस्ताक्षर कर कुल 1885 /- रुपये उठाकर ग्राम पंचायत खांगटा /राज्य सरकार को अनुचित आर्थिक हानि कारित करना एवं स्वंय को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। परिवादी श्री रामनारायण द्वारा प्रेषित शिकायत पर परिवाद संख्या 119/2019 दर्ज किया जाकर सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा पंचायतीराज योजना के तहत " देदाराम मुण्डेल के घर से बलजी रियाड के घर तक पीवीसी पाईप बिछाने का कार्य " उक्त विकास कार्य हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर से मस्टरोल संख्या 56036 विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक 21.12.2009 को जारी करवाया गया। उक्त मस्टरोल के माध्यम से दिनांक 01.08.2010 से 15.08.2010 तक 05 मजदूरो से कार्य करवाना दर्शाया गया है जिसमें उक्त मस्टरोल क्रम संख्या 01 से 04 तक अंकित मजदूरो द्वारा 11 दिन कार्य किया एवं क्रमं सख्ंया 05 अंकित श्रमिक द्वारा 10 दिन कार्य करनां अंकित हैं। इस प्रकार कुल 5400/- रूपये उक्त मस्टररोल के तहत रोकड भुगतान किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त

मस्टरोल के क्रमं संख्या 05 पर अंकित श्री रामनिवास पुत्र श्री भलाराम द्वारा पेश एक शपथ पत्र (50/- रूपये के स्टाम्प पर) एवं उनके द्वारा दिये गये बयान के अवलोकन से पाया गया कि उनके द्वारा उक्त विकास कार्य पर कार्य नही किया गया तथा न ही उनके द्वारा उक्त कार्य के पेटे कोई भुगतान प्राप्त किया गया। उक्त मस्टरोल मे उनके नाम के सामने के कॉलम मे भुगतान प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर भी उनके नही हैं इस प्रकार तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैलीदेवी व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर मिलीभगत कर श्री रामनिवास का उक्त मस्टरोल मे फर्जी नाम अंकित कर 10 दिन कार्य पर फर्जी हाजरी दर्शाकर मस्टरोल मे फर्जी हस्ताक्षर कर प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से कुल 1000/- रुपये का फर्जी भुगतान उठाकर गबन किया गया हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खागटा की तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैलीदेवी व ग्राम सचिव श्री बरकत अली द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर मिलीभगत कर एक अन्य विकास " गुटी पत्नी झूमरराम मेघवाल के खेत के पास टांका निर्माण कार्य" मे श्री भवरलाल पुत्र श्री बलाराम रियाड द्वारा कार्य नही किये जाने के उपरान्त भी उक्त श्रमिक की मस्टरोल संख्या 56154 मे फर्जी नाम अंकित कर 10 दिन कार्य पर फर्जी हाजरी दर्शाकर मस्टरोल मे फर्जी हस्ताक्षर कर प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से कुल 1000 /- रुपये का फर्जी भुगतान उठाकर गबन किया गया हैं। परिवादी श्री रामनारायण द्वारा प्रेषित शिकायत पर परिवाद संख्या 160/19 दर्ज किया जाकर सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि 1. बचनाराम कटाणिया के घर से पुसाराम कटाणियां के घर तक सीसी ब्लॉक के निर्माण कार्य में चार सदस्यीय तकनीकी टीम से उक्त कार्य का करवाया गया भौतिक सत्यापन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 1883-86 दिनांक 28.09.2012 द्वारा 90,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी व ग्रेवल नही बिछाया गया जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 7228 /- रुपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 2 ग्राम खांगटा में दानाराम कटाणियां के घर से आम रास्ता तक सीसी ब्लॉक मय नाली का निर्माण कार्य में तकनीकी टीम से उक्त कार्य का करवाया गया भौतिक सत्यापन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 27664-68 दिनांक 12.12.2012 द्वारा 2,30,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई 20 बाई 12 कुल 240 वर्ग फुट कम पाई गईए सीण्सीण् ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 48567 /- रुपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 3 ग्राम खांगटा में ओमा मुल्तान कटाणियां के घर से गोपजी के तहखाने तक सीसी ब्लॉक मय नाली का निर्माण कार्य उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 14855 /- रुपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया । 4 ग्राम खांगटा में गोपजी मेघवाल के घर से प्रतापराम मेघवाल के घर तक सीसी ब्लॉक मय नाली का निर्माण कार्य.उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 29879-84 दिनांक 02.02.2011 द्वारा 1,00,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 10534 /- रूपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 5 ग्राम खांगटा में पप्पु मुण्डेल के घर से आम रास्ता तक सीसी ब्लॉक मय नाली का निर्माण कार्य. उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 27664-66 दिनांक 12.12.2012 द्वारा 65,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 9037 /- रूपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 6 ग्राम खांगटा में माधाराम मेघवाल के घर से मांगुजी खोजा के घर तक सीसी ब्लॉक मय नाली का निर्माण कार्य.उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 29879-84 दिनांक 02.02.2011 द्वारा 1,00,000 /- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 10121 /- रूपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 7 ग्राम खांगटा में मुनजी दर्जी के घर से बाजार चैक होते हुए मोतीराम कोठारी के घर तक सीसी ब्लॉक मय नाली का निर्माण कार्य.उक्त कार्य का करवाया गया भौतिक सत्यापन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 27664-66 दिनांक 12.12.2012 द्वारा 4,00,000 /- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया तथा ग्रेवल रोलिंग नही की गई जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 63911/- रूपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 8 ग्राम खांगटा में आमदीन तेली के मकान से आम रास्ता तक सीसी ब्लॉक मय नाली का निर्माण कार्य.उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 12594 /- रूपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 9 ग्राम खांगटा में डामर सडक से बाबु देवासी के घर तक सीसी ब्लॉक मय नाली का निर्माण कार्य.उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया जबकि

फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 21283 /- रूपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 10 ग्राम खांगटा में झूमरराम कुचेरिया मेघवाल के घर के सामने सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य -उक्त कार्य का करवाया गया भौतिक सत्यापन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 19492-95 दिनांक 05.10.2012 द्वारा 1,00,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे ग्रेवल व गिट्टी की मात्रा 50 प्रतिशत होना पाई गई जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 7674 /- रूपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 11 ग्राम खांगटा में जबार तेली के घर से शौकीन हरिजन के घर तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य उक्त कार्य का करवाया गया भौतिक सत्यापन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 19492-95 दिनांक 05.10.2012 द्वारा 1,00,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे ग्रेवल व गिट्टी की मात्रा 50 प्रतिशत होना पाई गइ जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 13317 /- रुपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। 12 ग्राम खांगटा में डामर सडक से ढोलियों के बास तक सीसी ब्लाॅक का निर्माण कार्य.उक्त कार्य का करवाया गया भौतिक सत्यापन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक19492-95 दिनांक 05.10.2012 द्वारा 1,00,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया जबकि फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 13378 /- रुपये का अधिक भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करना प्रमाणित पाया गया। परिवादी श्री रामनारायण द्वारा प्रेषित शिकायत पर परिवाद संख्या 161/19 दर्ज किया जाकर सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि 1 रेलवे लाईन से सांखलो जेतमालो की ढाणी तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य 2 किमी- भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं लोकपाल द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच व परिवादी के बयान तथा आरोपीगण के स्पष्टीकरण के सत्यापन से उक्त ग्रेवल सडक 765.99 घनमीटर कम पाई गई जबकि फर्जी एम.बी भरकर भुगतान उठाया है। इस प्रकार श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच श्री रामनिवास प्रजापत गा०्रम सचिव व अन्य एकराय होकर षडयंत्र रचकर मै0 सोमराड कन्स. कम्पनी के प्रो. श्री भीयाराम सोमराड निवासी साथीन से आपसी मिली भगत कर उक्त विकास कार्य मे 1,11,308 /- रूपयों का गबन कर राज्य सरकार को अनुचित हानि एवं स्वंय को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं। 2 ग्राम खांगटा से राईकों की ढाणी से खारिया खंगार तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य 3 किमी- भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं लोकपाल द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच व परिवादी के बयान तथा आरोपीगण के स्पष्टीकरण के सत्यापन से प्रश्नगत कार्य पर 63.72 घनमीटर ग्रेवल का 101.43 रुपये की दर से 6463 /- रुपये का अधिक भुगतान किया गया उक्त भुगतान फर्जी एम.बी भरकर उठाया है। प्रश्नगत कार्य की तकनीकी जांच कपिल दवे सहायक अभियंता पंचायत समिति बिलाडा एंव सुमन माथुर सहायक अभियंता पंचायत समिति भोपालगढ की तकनीकी जांच टीम द्वारा किया गयी। तकनीकी जांच टीम की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्रेवल कम मात्रा में बिछाया गया जबकि फर्जी एम.बी भरकर भुगतान उठाया है। आरोपियो द्वारा कार्य में 6463 /-रुपयो का गबन किया गया है। ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (ग्रेवल) की पूर्ण आपूर्ति किये बगैर ही फर्जी बिल वाउचर दिया गया है। इस कार्य की फर्जी एमण्बी रामनिवास पांगाए कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा भरी गयी है। 03 श्री कानाराम देवासी की ढाणी से पाबुनाडा तक ग्रेवल निर्माण कार्य निर्माण 3 किमी- उक्त विकास कार्य हेतु भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं लोकपाल द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच व परिवादी के बयान तथा आरोपीगण के स्पष्टीकरण के सत्यापन से उक्त ग्रेवल सडक 445.99 घनमीटर कम पाई गई जबकि एम.बी मे 837.482 घनमीटर फर्जी माप भरकर कुल 46,206/- रूपये का अधिक भुगतान उठाया है। प्रश्नगत कार्य की तकनीकी जांच अजितसिंह सहायक अभियंता पंचायत समिति भोपालगढ एंव भगवानराम खोजा सहायक अभियंता पंचायत समिति बिलाडा की तकनीकी जांच टीम द्वारा की गयी। तकनीकी जांच टीम की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्रेवल कम मात्रा में बिछाया गया जबकि फर्जी एम.बी भरकर भुगतान उठाया है। आरोपियो द्वारा कार्य में 46,206/- रुपयों का गबन किया गया है। ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (ग्रेवल) की पूर्ण आपूर्ति किये बगैर ही फर्जी बिल वाउचर दिया गया है। इस कार्य की फर्जी एम.बी राजेष कुमार मीणा कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा भरी गयी है। 04 भीलों की ढाणी से गुडिया नाडा तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य 2.5 किमी- उक्त विकास कार्य हेतु कार्य की तकनीकी जांच अजितसिंह सहायक अभियंता पंचायत समिति भोपालगढ एंव भगवानराम खोजा सहायक अभियंता पंचायत समिति बिलाडा की तकनीकी जांच टीम द्वारा की गय तकनीकी जांच टीम की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्रेवल कम मात्रा में बिछाया गया जबकि फर्जी एम.बी भरकर भुगतान उठाया है। आरोपियो द्वारा कार्य में 1,80,765/- रुपयों का गबन किया गया है। ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (ग्रेवल) की पूर्ण आपूर्ति किये बगैर ही फर्जी बिल वाउचर दिया गया है। इस कार्य की फर्जी एम.बी राजेष कुमार मीणाए कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा भरी गयी है। परिवादी श्री रामनारायण द्वारा प्रेषित शिकायत पर परिवाद संख्या 162/19 दर्ज किया जाकर सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा टीएफसी योजना के तहत "मेरासिया रोड पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण" का कार्य करवाया गया उक्त विकास कार्य की जांच जांच दल

पीपाड शहर के सदस्य श्री राजेन्द्रकुमार सेवर कनिष्ठ अभियंता श्री बाबुलाल एएओ श्री सुमेर सिह् जेटीए एवं श्री भगवानाराम सहायक अभियता से कार्य की मौका जांच करवाई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तो पाया गया कि मौके पर उक्त कार्य की स्थिति अनुसार मूल्यांकन राशि 1,31,535/- रूपये का पाया गया। जबकि ग्राम पंचायत खागटा द्वारा उक्त कार्य के पेटे 1,44,945/- रूपये का भुगतान करना पाया गया। इस प्रकार कुल 13,410/- रूपये का कार्य से अधिक भुगतान करना पाया गया। ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा 13,410 /- रूपये अधिक किये भुगतान को विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच व श्री रामनिवास प्रजापत ग्राम विकास अधिकारी से 6705-6705/- रुपये वसूली नोटिस जारी कर उक्त दोनो से 13,410 /- रूपये विकास अधिकारी कार्यालय मे जमा करवाने हेतु निर्देशित करना पाया गया। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैलीदेवी व रामनिवास प्रजापत ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर मिलीभगत कर मै0 सोमराड कन्सट्रक्सन कम्पनी के प्रो श्री भीयाराम सोमराड निवासी साथीन से साठ-गाठ कर ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा टीएफसी योजना के तहत "मेरासिया रोड पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण" के नाम पर मै0 सोमराड कन्सट्रक्सन कम्पनी के प्रो श्री भीयाराम सोमराड द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति कम मात्रा मे किये जाने उपरान्त भी ग्राम पंचायत खंगटा द्वारा 93400 /- रूपये का जरिये चैक भुगतान किया गया जो ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा 13,410 /- रूपये का अधिक भुगतान कर गबन किया गया हैं। परिवादी श्री रामनारायण द्वारा प्रेषित शिकायत पर परिवाद संख्या 163/19 दर्ज किया जाकर सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि 1. शहीद स्मारक के पास राईकाबाग बस स्टेण्ड व सिसोदिया बास में सीसी ब्लाक निर्माण कार्य- उक्त कार्य की तकीनीकी कमेटी के सदस्य श्री राजेन्द्रकुमार सेवर कनिष्ठ अभियंता श्री बाबुलाल एएओ श्री सुमेरसिह जेटीए एवं श्री भगवानाराम सहायक अभियंता की टीम द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य पर ग्राम पंचायत द्वारा कुल 98,232/- रुपये का व्यय किया गया जबकि उक्त टीम द्वारा मौके पर किये गये मूल्यांकन से उक्त कार्य 72,202/- रुपये का होना पाया गया हैं। श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच श्री रामनिवास प्रजापत ग्रामसचिव व अन्य एकराय होकर षडयंत्र रचकर बी.आर.गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी के प्रो. श्री बुधाराम निवासी हीरादेसर से आपसी मिली भगत कर उक्त विकास कार्य मे 26,030/- रुपयों का गबन कर राज्य सरकार को अनुचित हानि एवं स्वंय को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं। 2 फातिया ए नमाज कार्य स्थल पर अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना- उक्त कार्य की तकीनीकी कमेटी के सदस्य श्री राजेन्द्रकुमार सेवर कनिष्ठ अभियंता श्री बाबुलाल एएओ एवं श्री सुमेरसिह जेटीए की टीम द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य पर कोटा स्टोन लगाने का कार्य मौके पर नही होना पाया गया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कुल 62,976/- रुपये का व्यय किया गया। इस प्रकार श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच श्री रामनिवास प्रजापत ग्रामसचिव व अन्य एकराय होकर षडयंत्र रचकर बी.आर.गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी के प्रो. श्री बुधाराम निवासी हीरादेसर से आपसी मिली भगत कर उक्त विकास कार्य मे 62,976/- रुपयों का गबन कर राज्य सरकार को अनुचित हानि एवं स्वंय को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं। परिवादी श्री रामनारायण द्वारा प्रेषित शिकायत पर परिवाद संख्या 164/19 दर्ज किया जाकर सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम नायक के खेत खसरा संख्या 64 मे टाका व मेडबंदी कार्य- उक्त कार्य की तकीनीकी कमेटी के सदस्य श्री राजेन्द्रकुमार सेवर कनिष्ठ अभियंता श्री बाबुलाल एएओ श्री सुमेरसिह जेटीए एवं श्री भगवानाराम सहायक अभियंता की टीम द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि खेत खसरा संख्या 64 मे केवल एक टांका पाया गया जो श्री सरजाराम पुत्र श्री गेपरराम के नाम से स्वीकृत हैं उक्त टांका निर्माण के साथ मेडबंदी के अवशेष पाये गये चूंकि उक्त कार्य 5-6 वर्ष पुराना व कच्चा कार्य होने से माप किया जाना सम्भव नही था। पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 64 मे केवल एक टाका पाया गया हैं जो उक्त कार्य से पूर्व श्री मांगीलाल के सगे भाई श्री सुरजाराम के नाम से स्वीकृत हुआ था। उक्त खेत खसरा संख्या 64 रकबा 27.08 बीघा श्री सुखाराम श्री मांगीलाल श्री बीजाराम श्री सुरजाराम श्री धीसाराम पुत्रान श्री गेपरराम का सामलाती खेत होना पाया गया। उक्त खेत खसरा मे श्री सुरजाराम पुत्र श्री गेपरराम एवं श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम के नाम से अलग.अलग दो टांके व मेडबंदी स्वीकृत होना तथा दोनो कार्य ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर करवाया जाना दर्शाया जाकर दोनो कार्यो का भुगतान करना पाया गया जबकि गठित तकनीकी टीम द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन से मौके पर एक ही टांके का निमार्ण होना तथा मेडबंदी के अवशेष होना पाये गये जबकि ग्राम पंचायत के उक्त आरोपीगणो द्वारा दोनो टांको निर्माण करना दर्शाकर दोनो कार्यो का भुगतान उठाया गया हैं। उक्त खसरा मे निर्माण करवाया गया टांका श्री सुरजाराम का होना पाया गया। श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम के नाम स्वीकृत टांका व मेडबंदी का कार्य मौके पर नही पाया गया जबकि ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा कुल 95,784/- रुपये का व्यय किया गया जाकर गबन कर राज्य सरकार को अनुचित हानि एवं स्वंय को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं। परिवादी श्री रामनारायण द्वारा प्रेषित शिकायत पर परिवाद संख्या 165/19 दर्ज किया जाकर सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि रामदेव मंदिर से कटाणियो के मौहल्ले तक सीसी रोड निर्माण कार्यः- उक्त कार्य की विकास अधिकारी पीपाड शहर द्वारा सहायक अभियंता भगवानराम कनिष्ठ अभियंता राजेन्द्र सेंवर कनिष्ठ तकनीकी सहायक सुमेरसिंह व लेखाधिकारी बाबुलाल फुलवारिया के नेतृत्व में तकनीकी टीम का गठन किया गया। तकनीकी टीम द्वारा परिवादी श्री रामनारायण की उपस्थिति में मौका पर

जाकर तकनीकी जांच की गई। उक्त तकनीकी टीम द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट अंकित किया कि कार्य की पत्रावली की जांच करने पर सारे दस्तावेज पूर्ण पाये गये। भौतिक स्थित जांच करने पर माप पुस्तिका मद से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए 94,759/- रुपये की वसूली कार्यवाही की जाने के आदेश जारी किये गये। तकनीकी जांच टीम द्वारा की गयी जांच एंव जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों द्वारा कुल 94,759/- रुपये का गबन किया जाना प्रमाणित माना गया। अतः रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन है कि आरोपीगण 1. श्री सुखदेव सेंगवा तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिला परिषद जोधपुर 2. श्री तेजाराम तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिला परिषद जोधपुर 3. श्री रामचन्द्र चोधरी कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर 4. श्री रामनिवास पांगा तत्कालीन कनिष्ठ तकनिकी सहायक संविदा ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 5. श्री राजेश कुमार मीणा कनिष्ठ तकनिकी सहायक संविदा ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 6. श्री बरकत अली तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 7. श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 8. महीपाल पिचकिया रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 9. श्री झुमरराम मेधवाल तत्का0 सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 10. श्रीमति केली देवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 11. श्री रामनिवास मुण्डेल पुत्र श्री खेराजराम जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर श्रीमति कली देवी सरपंच का पुत्र 12. श्री भीयाराम सोमराड प्रो. सोमराड कन्स. कम्पनी साथीन भोपालगढ जिला जोधपुर 13. श्री बुघाराम निवासी हीरादेसर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर प्रो. बी.आर. गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी 14. श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर लाभार्थी 15. श्री पारसराम पुत्र श्री पाबुराम मेघवाल निवासी खागटा प्रो. फर्म मै0 पारसराम/पाबुराम मेघवाल एण्ड संस आदि के विरूद् परिवादो में अंकित उपरोक्त तथ्यो की प्राथमिक जांच संख्या 21/2022 दिनांक 6-10-2022 दर्ज होकर कार्यालय हाजा पर प्राप्त होने पर पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की गई। दौराने जांच ग्राम पंचायत खांगटा मे 1. मण्डी से रामचन्द्र सुनार के घर तक सीण्सीण् ब्लांक खरंजा निर्माण कार्य की पत्रावली की प्रमाणित प्रति 2. बस स्टेण्ड से जयरुप गोदारा के घर तक पीवीसी पाईप लाईन बिछाने के कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति 3. देदाराम मुण्डेल के घर से बलजी रियाड के घर तक पीवीसी पाईप लाईन बिछाने के कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति 4. ओमा मुल्तान कटाणिया के घर से आम रास्ता तक सीसी ब्लाॅक मय नाली निर्माण कार्य एवं झूमरराम कुचेरिया के घर के सामने सीसी ब्लाॅक मय नाली निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति 5. रेलवे लाईस से सांखलोए जेतमालो की ढाणी तक ग्रवेल सडक निमार्ण कार्यए ग्राम खांगटा से राईको की ढाणी से खारिया खंगार तक गेवल सडक निमार्ण कार्य कानाराम देवासी की ढाणी से पाबुनाडा तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य एवं भीलो की ढाणी से गुडिया नाडा तक गेवल सडक निमार्ण कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति 6. मेरासिया रोड पर सार्वजनिक शर्चालय निमार्ण कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति 7. शहीद स्मारक के पास राईका बाग बस स्टेण्ड व सिसोदिया बास मे सीसी ब्लाॅक निर्माण कार्य व फातिया ए नमाज कार्य स्थल पर अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति 8. मांगीलाल नायक के खेत खसरा संख्या 64 मे सिचाई टांकाए पौधा रोपड मिट्टी का बाध आगौर निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति 9. रामदेव मंदिर से कटाणियो के मौहल्ले तक सीसी सडक निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल जांच की गई। दौराने जांच ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा करवाये गये उक्त कुल 25 विकाय कार्या मे से 21 विकास कार्यो की जिला परिषद् जोधपुर/पंचायत समिति द्वारा तकनीकी टीम से करवाई गई जांच की जांच रिपोर्ट की प्रामणित प्रतिया प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने जांच परिवादी श्री रामनारायण चोधरी तकनीकी जांच टीम के सदस्य श्री भगवानाराम सहायक अभियंता श्री अजितसिह तत्कालीन सहायक अभियंता पंचायत समिति भोपालगढ श्री बाबुलाल सहायक लेखाधिकारी श्री राजेन्द्र सेवर कनिष्ठ अभियंता श्री सुमेरसिह मुण्डेल कनिष्ठ तकनीकी सहायक कपिल दवे सहायक अभियंता श्रीमती सुमन माथुर सहायक अभियंता लेबर श्री धन्नगिरी भंवरलाल रामनिवास नायक रामलाल पुत्र श्री अणदाराम एवं नाथुराम पुत्र श्री उमाराम के बयान लेकर शामिल जांच किये गये तथा आरोपी श्री बरकतअली ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती कैली देवी तत्कालीन सरपंच खांगटा श्री रामनिवास प्रजापत ग्राम विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र चैधरी सहायक अभियंता श्री महिपाल पिचकिया रोजगार सहायक व लाभार्थी श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम के स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। दौराने जांच प्राप्त किये गये दस्तावेजात गवाहान से लिये गये बयानात एवं आरोपीगण से लिये गये अभ्यावेदन से ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा करवाये गये विकास कार्यो मे विकास कार्यवाईज निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुईः. 1. बस स्टेण्ड से जयरुप गोदारा के घर तक पीवीसी पाईप बिछाने के कार्य- जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेज एवं बयान गवाहान से वर्ष 2012 में पंचायतीराज योजना के तहत ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा पंचायत समिति भोपालगढ से मस्टरोल संख्या 71467 जारी करवाया जाकर मौके पर कार्य करवाना पाया गया हैं। साथ ही उक्त कार्य के पेटे नियमानुसार भुगतान करना पाया गया हैं। उक्त कार्य के पेटे राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि होना नही पाया गया हैं। 2. देदाराम मुण्डेल के घर से बलजी रियाड के घर तक पीवीसी पाईप बिछाने का कार्य- जांच से उक्त विकास कार्य हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर से मस्टरोल संख्या 56036 विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक 12.12.2009 को जारी होना पाया गया। गवाह श्री रामनिवास पुत्र श्री भलाराम के लिये गये बयान

अनुसार उक्त मस्टरोल के माध्यम से दिनांक 01.08.2010 से 15.08.2010 तक 05 मजदूरो से कार्य करवाना पाया गया है तथा उक्त कार्य के पेटे ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा नियमानुसार भुगतान करना पाया गया हैं। 3. गुटी पत्नी झूमरराम मेघवाल के खेत के पास टांका निर्माण कार्य- जांच के दौरान गवाह श्री भवरलाल पुत्र श्री बलुराम के लिये गये बयानो एवं दस्तावेजी साक्ष्य से ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा उक्त कार्य मस्टरोल संख्या 56154 जारी करवाया जाकर नियमानुसार श्रमिको से कार्य करवाया जाना पाया गया हैं। उक्त कार्य के पेटे राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की हानि होना नही पाई गई हैं। 4. रेलवे लाईन से सांखलो जेतमालो की ढाणी तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य 2 किमी- जाच के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेजो के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य पूर्व मे दर्ज प्रकरण संख्या 354/ 2019 वर्णित होकर उक्त प्रकरण का अनुसंधान एसीबी चैकी जोधपुर शहर द्वारा किया जा रहा हैं। 5. श्री कानाराम देवासी की ढाणी से पाबुनाडा तक ग्रेवल निर्माण कार्य निर्माण 3 किमी- जाच के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेजो के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य पूर्व मे दर्ज प्रकरण संख्या 354/2019 वर्णित होकर उक्त प्रकरण का अनुसंधान एसीबी चैकी जोधपुर शहर द्वारा किया जा रहा हैं। 6. भीलों की ढाणी से गुडिया नाडा तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य 2.5 किमी- जाच के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेजो के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य पूर्व मे दर्ज प्रकरण संख्या 354/2019 वर्णित होकर उक्त प्रकरण का अनुसंधान एसीबी चैकी जोधपुर शहर द्वारा किया जा रहा हैं। 7. मण्डी से रामचन्द्र सुनार के मकान तक करवाये गये सीमेन्ट ब्लाॅक निर्माण कार्य- जाचं के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेज एवं बयान गवाहान से आरोपी श्री झुमर राम मेघवाल तत्का0 सरपंच श्री बरकत अली तत्का0 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खांगटा पंचायत समिति भोपालगढ एवं मै0 पारसराम/पाबुराम एण्ड सन्स के प्रो0 पारसराम द्वारा आपसी मिलीभगत कर आपराधिक षडयन्त्र पूर्वक ग्राम खांगटा में मण्डी से रामचन्द्र सुनार के मकान तक करवाये गये सीमेन्ट ब्लाॅक निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग कर मौके पर 1,09,590/-रू0 का ही कार्य करवाये जाने के बावजूद उक्त कार्य की स्वीकृति राशि के अनुरूप कार्य करवाये जाने के मिथ्या दस्तावेज तैयार कर 1,49,995/- रू0 का भुगतान राजकोष से प्राप्त कर 40,409/- रू0 की राजकोष को सदोष हानि एवं स्वंय को सदोष लाभ प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया हैं। 8. बचनाराम कटाणिया के घर से पुसाराम कटाणियां के घर तक सीसी ब्लाॅक निर्माणं कार्य - जांच से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 18883-86 दिनांक 28.09.2012 द्वारा 90,000/- रुपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी व ग्रेवल नही बिछाया गया इस प्रकार तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैलीदेवी श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा एवं ठेकेदार श्री बुधाराम द्वारा षडयंत्रपूर्वक आपसी मिलीभगतकर फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 7228/- रुपये का अधिक भुगतान कर राजकोष को हानि करना प्रमाणित पाया गया। 9. ग्राम खांगटा में दानाराम कटाणियां के घर से आम रास्ता तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य - जांच से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 27664-68 दिनांक 12.12.2012 द्वारा 2,30,000/- रुपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई 20 गुणा 12 कुल 240 वर्ग फुट कम पाई गई सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन ग्राम सेवक श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता श्री रामचन्द्र चोधरी श्री सुखदेव सेंगवा सहायक अभियंता ठेकेदार श्री भीयाराम व बुधाराम द्वारा आपसी मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचकर फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 48567/- रुपये का अधिक भुगतान कर राजकोष को हानि पहुचाना प्रमाणित पाया गया। 10. ग्राम खांगटा में ओमाए मुल्तान कटाणियां के घर से गोपजी के तहखाने तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य- जांच के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेज बयान गवाहान व आरोपीगण के स्पष्टीकरण से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 29879-84 दिनांक 02.02.2011द्वारा 2,50,000/- रुपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया इस प्रकार तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैलीदेवी श्री रामनिवास मुण्डेल तत्कालीन ग्राम सेवक श्री बरकत अली एवं ठेकेदार श्री भीयाराम द्वारा आपसी मिलीभगत कर फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 14855/- रुपये का अधिक भुगतान कर राजकोष को हानि करना प्रमाणित पाया गया। 11. ग्राम खांगटा में गोपजी मेघवाल के घर से प्रतापराम मेघवाल के घर तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य- जांच से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 29879-84 दिनांक 02.02.2011द्वारा 1,00,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया इस प्रकार तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैलीदेवी श्री रामनिवास मुण्डेल तत्कालीन ग्राम सेवक श्री बरकत अली एवं ठेकेदार श्री भीयाराम द्वारा आपसी मिलीभगत कर फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 10534/- रुपये का अधिक भुगतान कर राजकोष को सदोष हानि एवं स्वंय को सदोष लाभ कारित करना प्रमाणित पाया गया। 12 ग्राम खांगटा में पप्पु मुण्डेल के घर से आम रास्ता तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य - जांच से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 27664-68 दिनांक 12.12.2012 द्वारा 65,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया अतः तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैलीदेवी श्री रामनिवास प्रजापत ग्रामसेवक व ठेकेदार द्वारा आपसी मिलीभगत कर षडयंत्रपूर्वक फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर

9037/- रुपये का अधिक भुगतान कर राजकोष को हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया। 13. ग्राम खांगटा में माधाराम मेघवाल के घर से मांगुजी खोजा के घर तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य- जांच से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 29879-84 दिनांक 02.02.2011 द्वारा 1,00,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया इस प्रकार श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच श्री बरकतअली तत्कालीन ग्रामसेवक श्री रामनिवास मुण्डेल श्री रामचन्द्र चोधरी तत्कालिन कनिष्ठ अभियंता श्री सुखदेव सेंगवा तत्कालीन सहायक अभियंता ठेकेदार श्री बुधराम द्वारा आपसी मिलीभगत कर फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 10121/- रुपये का अधिक भुगतान कर राजकोष को सदोष हानि एवं स्वंय को सदोष लाभ प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। 14. ग्राम खांगटा में मुनजी दर्जी के घर से बाजार चैक होते हुए मोतीराम कोठारी के घर तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य- जाच के दौरान प्राप्त बयानात व आरोपी के स्पष्टीकरण से पाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा गठित चार सदस्यीय तकनीकी टीम से उक्त कार्य का करवाया गया भौतिक सत्यापन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 27664-68 दिनांक 12.12.2012 द्वारा 4,00,000/- रुपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया तथा ग्रेवल रोलिंग नही की गई इस प्रकार श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच श्री बरकतअली तत्कालीन ग्रामसेवक श्री रामनिवास मुण्डेल श्री रामचन्द्र चोधरी तत्कालिन कनिष्ठ अभियंता श्री सुखदेव सेंगवा तत्कालीन सहायक अभियंता ठेकेदार श्री बुधाराम द्वारा आपसी मिलीभगत कर फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 63911/- रुपये का अधिक भुगतान कर राजकोष को सदोष हानि करना प्रमाणित पाया गया। 15. ग्राम खांगटा में आमदीन तेली के मकान से आम रास्ता तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य- जांच के दौरान लिये गये गवाहान के बयान व आरोपी के अभ्यावेदन एवं रिकाॅर्ड अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 27664-68 दिनांक 12.12.2012 द्वारा 70,000/- रुपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया इसके बावजूद तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता श्री रामचन्द्र चोधरी द्वारा फर्जी एमबी भरकर एवं ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री की आपुर्ति किये बगैर ही फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 12594/- रुपये का अधिक भुगतान कर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया। 16. ग्राम खांगटा में डामर सडक से बाबु देवासी के घर तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य- जांच से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 19492-95 दिनांक 05.10.2012 द्वारा 2,00,000/- रूपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गयाए उसके उपरान्त भी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता श्री रामचन्द्र चोधरी द्वारा फर्जी एमबी मे इन्द्राज कर ठेकेदार श्री भीयाराम से फर्जी वाउचर तैयार करवाकर आपसी मिलीभगत कर राजकोष को 21283/- रुपये की हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया। 17.ग्राम खांगटा में झूमरराम कुचेरिया मेघवाल के घर के सामने सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य- जांच के दौरान लिये गये बयानात आरोपीगण के अभ्यावेदन व भौतिक सत्यापन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 19492-95 दिनांक 05.10.2012 द्वारा 1,00,000/- रुपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे ग्रेवल व गिट्टी की मात्रा 50 प्रतिशत होना पाई गई इस प्रकार तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता श्री रामचन्द्र चोधरी श्री सुखदेव सेंगवा तत्कालीन सहायक अभियंता श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच श्री रामनिवास प्रजापत एवं अन्य द्वारा आपसी मिलीभगत कर फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर 7674/- रुपये का अधिक भुगतान कर राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया। 18. ग्राम खांगटा में जबार तेली के घर से शौकीन हरिजन के घर तक सीसी ब्लाॅक मय नाली का निर्माण कार्य- जांच से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 19492-95 दिनांक 05.10.2012 द्वारा 1,00,000/- रुपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे ग्रेवल व गिट्टी की मात्रा 50 प्रतिशत होना पाई गई उसके उपरान्त भी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता श्री रामचन्द्र चोधरी द्वारा एमबी मे फर्जी इन्द्राज कर फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालीन ग्राम सेवक श्री सुखदेव सेगंवा तत्कालिन सहायक अभियंता ठेकेदार श्री भीयाराम आपसी मिलीभगत कर झूठे दस्तावेज तैयार कर राजकोष को 13317/- रुपये की सदोष हानि करना प्रमाणित पाया गया। 19. ग्राम खांगटा में डामर सडक से ढोलियों के बास तक सीसी ब्लाॅक का निर्माण कार्य- जांच से पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 19492-95 दिनांक 05.10.2012 द्वारा 1,00,000/- रुपये स्वीकृति किये गये। उक्त कार्य की सीसी ब्लाक लम्बाई व चोडाई माप पुस्तिका मे दर्ज माप के अनुसार पाई गई मगर सीसी ब्लाक के नीचे गिट्टी नही बिछाया गया इस प्रकार तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैलीदेवी श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालीन ग्रामसेवक श्री रामचन्द्र चोधरी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता श्री रामनिवास मुण्डेल एवं ठेकेदार द्वारा आपसी मिलीभगत कर झूठे दस्तावेज व फर्जी बिल व वाउचर तैयार कर राजकोष को 13378/- रुपये की सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया। 20. ग्राम खांगटा से राईकों की ढाणी से खारिया खंगार तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य 3 किमी- जाचं के दौरान प्राप्त

किये गये रिकाॅर्ड अवलोकन एवं लिये गये बयान गवाहान व आरोपीगण के अभ्यावेदन से पाया गया कि उक्त विकास कार्य हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक महानरेगा एवं जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 10159 दिनांक 09.01.2009 को राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना राजस्थान के अन्तर्गत जोधपुर जिले की अनुमोदित वार्षिक योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ के पत्रांक 4976 दिनांक 10.10.2008 से प्राप्त अनुमोदन प्लान तकमीनो एवं तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 19.99 लाख रुपये जारी की गई। कार्यालय पंचायत समिति भोपालगढ के कनिष्ठ तकनीकी सहायक रा.ग्रा.रो.गा. योजना पंचायत समिति भोपालगढ व सहायक अभियंता महानरेगा भोपालगढ द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं एस्टीमेन्ट तैयार किया गया। उक्त विकास कार्य हेतु कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा मस्टरोल जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा ग्राम खांगटा से राईकों की ढाणी से खारिया खंगार तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य 3 किमी सडक का निर्माण करवाया गया। पंचायत समिति भोपालगढ/पीपाडशहर से उक्त विकास कार्य से संबंधित प्राप्त किये गये दस्तावेजात, तकनीकी टीम द्वारा की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं लोकपाल द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच व परिवादी के बयान तथा आरोपीगण के स्पष्टीकरण के सत्यापन से प्रश्नगत कार्य पर 63.72 घनमीटर ग्रेवल का 101.43 रुपये की दर से 6463/- रुपये का अधिक का भुगतान किया गया उक्त भुगतान फर्जी एम बी भरकर उठाया है। तकनीकी जांच टीम की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्रेवल कम मात्रा में बिछाया गया जबकि फर्जी एम बी भरकर भुगतान उठाया है। आरोपियो द्वारा कार्य के पेटे राजकोष को 6463/- रुपये की सदोष हानि कारित करना पाया गया। ठेकेदार श्री भीयाराम द्वारा निर्माण सामग्री (ग्रेवल) की पूर्ण आपूर्ति किये बगैर ही फर्जी बिल वाउचर देना पाया गया। इस कार्य की फर्जी एम बी रामनिवास पांगा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा) पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा भरा जाना पाया गया। 21. मेरासिया रोड पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य- जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेज के अवलोकन, लिये गये बयानात व आरोपीगण के अभ्यावेदन से पाया गया कि वर्ष 2011- 12 में आरोपीगण श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा तत्कालीन पंचायत समिति भोपालगढ एवं श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी खांगटा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, आपराधिक षडयंत्र रचकर मिलीभगत कर ग्राम पंचायत खांगटा मे टीएफसी योजना के तहत करवाये गये " मेरासिया रोड पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य" हेतु मै0 सोमराड कन्सट्रक्सन कम्पनी के प्रो. श्री भीयाराम सोमराड निवासी साथीन से साठ- गाठ कर उनके द्वारा उक्त कार्य के पेटे निर्माण सामग्री आपूर्ति कम मात्रा मे किये जाने उपरान्त भी वाउचर संख्या 34 दिनांक 01.03.2012 राशि रुपये 93400/- पेश करना, उक्त बिल मे वर्णित राशि को तत्कालीन सरपंच श्रीमती कैली देवी व श्री रामनिवास प्रजापत ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जरिये चैक संख्या 764617 दिनांक 03.03.2012 द्वारा भुगतान कर करना प्रमाणित पाया गया जो उनके द्वारा की गई निर्माण सामग्री की एवज मे कुल 13410/- रुपये का अधिक भुगतान कर ग्राम पंचायत खांगटा / राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना एवं स्वंय को सदोष लाभ पहुंचाना प्रमाणित पाया गया। 22. शहीद स्मारक के पास राईकाबाग बस स्टेण्ड व सिसोदिया बास में सीसी ब्लाॅक निर्माण कार्य- जांच से पाया गया कि उक्त विकास कार्य हेतु ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 7/2013 दिनांक 20.04.2013 तकनीकी स्वीकृति संख्या 07/2013 दिनांक 20.04.2013 एवं कार्य की वित्तीय स्वीकृति संख्या 07/2013 दिनांक 20.04.2013 तत्कालीन सरपंच श्रीमती केलीदेवी एवं श्री रामनिवास प्रजापत ग्राम सचिव के हस्ताक्षरो से जारी की गई। उक्त जारी की गई वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार उक्त कार्य हेतु श्रम घटक मे 14,000/- रूपये एवं सामग्री घटक मे 86,000/ रूपये इस प्रकार कुल 1,00,000/- रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करना पाया गया। उक्त विकास कार्य हेतु पंचायत समिति भोपालगढ के विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु जारी मस्टरोल संख्या 01645 जारी किये गये। उक्त विकास कार्य हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा जारी उक्त मस्टरोल ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा दिनांक 01.06.2013 से दिनांक 15.06.2013 तक 05 मजदूरो से कार्य करवाना दर्शाया गया है, जिसमें उक्त मस्टरोल क्रम संख्या 01 पर अंकित श्रमिक द्वारा 11 दिन कार्य करना, क्रमं सख्ंया 02 से 05 तक अंकित श्रमिको द्वारा 13 दिन कार्य करना अंकित हैं। जिसका भुगतान कुल 15232/- रूपये उक्त मस्टररोल के तहत रोकड किया जाकर मस्टरोल को श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया हैं तथा उक्त कार्य के पेटे बी.आर. गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी द्वारा सामग्री सप्लाई का बिल संख्या 162 दिनांक 10.05.2013 द्वारा राशि रूपये 83,000/- द्वारा ग्राम पंचायत खांगटा मे पेश किया गया जिसका भुगतान करना पाया गया। उक्त कार्य की तकीनीकी कमेटी के सदस्य श्री राजेन्द्रकुमार सेवर कनिष्ठ अभियंता, श्री बाबुलाल एएओ, श्री सुमेरसिह जेटीए एवं श्री भगवानाराम सहायक अभियंता की टीम द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य पर ग्राम पंचायत द्वारा कुल 98,232/- रुपये का व्यय किया गया जबकि उक्त टीम द्वारा मौके पर किये गये मूल्यांकन से उक्त कार्य 72,202/- रुपये का होना पाया गया हैं। इस प्रकार श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच श्री रामनिवास प्रजापत ग्राम सचिव व अन्य एकराय होकर षडयंत्र रचकर बी.आर. गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी के प्रो. श्री बुधाराम निवासी हीरादेसर से आपसी मिली भगत कर उक्त विकास कार्य मे 26,030/- रुपयों का राज्य सरकार को सदोष हानि एवं स्वंय को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं। 23. फातिया ए नमाज कार्य स्थल पर अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना- जांच से पाया गया कि उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विकास अधिकारी

पंचायत समिति भोपालगढ के आदेश क्रमांक 10942 दिनांक 30.07.2013 द्वारा जारी की गई। ग्राम पंचायत खागटा द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति संख्या 08/2013 दिनांक 20.07.2013 तत्कालीन सरपंच श्रीमती केलीदेवी के हस्ताक्षरो से जारी की गई। उक्त जारी की गई वित्तीय स्वीकृति अनुसार उक्त कार्य हेतु श्रम घटक मे 15,000/- रुपये एवं सामग्री घटक मे 85,000 /- रुपये इस प्रकार कुल 1,00,000/- रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करना पाया गया। उक्त कार्य के पेटे बी.आर. गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी द्वारा सामग्री सप्लाई का बिल संख्या 81 दिनांक 01.08.2013 द्वारा राशि रुपये 85,000/- द्वारा ग्राम पंचायत खांगटा मे पेश किया गया। उक्त कार्य की तकीनीकी कमेटी के सदस्य श्री राजेन्द्रकुमार सेवर कनिष्ठ अभियंता, श्री बाबुलाल एएओ, एवं श्री सुमेरसिह जेटीए की टीम द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि उक्त कार्य पर कोटा स्टोन लगाने का कार्य मौके पर नही होना पाया गया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कुल 62,976/- रुपये का व्यय किया गया। इस प्रकार श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच श्री रामनिवास प्रजापत ग्राम सचिव व अन्य एकराय होकर षडयंत्र रचकर बी.आर. गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी के प्रो. श्री बुधाराम निवासी हीरादेसर से आपसी मिली भगत कर उक्त विकास कार्य मे 62,976/- रुपये का राजकोष को सदोष हानि एवं स्वंय को सदोष लाभ पहुंचाना प्रमाणित पाया गया हैं। 24. श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम नायक के खेत खसरा संख्या 64 मे टाका व मेडबंदी कार्य- जांच से पाया गया कि उक्त विकास कार्य हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 8044 दिनांक 10.07.2012 द्वारा कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1.50 लाख रुपये की जारी की गई। कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 429 दिनांक 18.06.2012 श्री रामनिवास पागा तकनीकी सहायक (संविदा) द्वारा अपने हस्ताक्षरो से जारी की गई, जिसमे श्रम मद मे 90,000/- रुपये सामग्री मद मे 57,100/- रुपये एवं कन्टीजेन्सी व्यय हेतु 2900/- रुपये कुल 1.50 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई। उक्त विकास कार्य हेतु कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा मस्टरोल संख्या 20508,20509, 22734, 24882, 24883, 62, 63, 64, 65 जारी किये गये। उक्त विकास कार्य हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा जारी उक्त मस्टरोलो मे ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा अकुशल व अद्वकुशल श्रमिको से कार्य करवाना दर्शाया जाकर कुल 66025/- रुपये का भुगतान करना दर्शाया गया तथा सामग्री पेटे 29758.9/- रुपये का भुगतान करना दर्शया गया हैं। उक्त कार्य की तकीनीकी कमेटी के सदस्य श्री राजेन्द्रकुमार सेवर कनिष्ठ अभियंता, श्री बाबुलाल एएओ, श्री सुमेरसिह जेटीए एवं श्री भगवानाराम सहायक अभियंता की टीम द्वारा की गई उक्त कार्य की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि खेत खसरा संख्या 64 मे केवल एक टांका पाया गया जो श्री सुरजाराम पुत्र श्री गेपरराम के नाम से स्वीकृत हैं। उक्त टांका निर्माण के साथ मेडबंदी के अवशेष पाये गये चूंकि उक्त कार्य 5-6 वर्ष पुराना व कच्चा कार्य होने से माप किया जाना सम्भव नही था। पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 64 मे केवल एक टाका पाया गया हैं जो उक्त कार्य से पूर्व श्री मांगीलाल के सगे भाई श्री सुरजाराम के नाम से स्वीकृत हुआ था। उक्त खेत खसरा संख्या 64 रकबा 27.08 बीघा श्री सुखाराम, श्री मांगीलाल, श्री बीजाराम, श्री सुरजाराम, श्री धीसाराम पुत्रान श्री गेपरराम का सामलाती खेत होना पाया गया। उक्त खेत खसरा मे श्री सुरजाराम पुत्र श्री गेपरराम एवं श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम के नाम से अलग-अलग दो टांके व मेडबंदी स्वीकृत होना तथा दोनो कार्य ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर करवाया जाना दर्शाया जाकर दोनो कार्यो का भुगतान करना पाया गया जबकि गठित तकनीकी टीम द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन से मौके पर एक ही टांके का निमार्ण होना तथा मेडबंदी के अवशेष होना पाये गये जबकि ग्राम पंचायत के उक्त आरोपीगणो द्वारा दोनो टांको निर्माण करना दर्शाकर दोनो कार्यो का भुगतान उठाया गया हैं। उक्त खसरा मे निर्माण करवाया गया टांका श्री सुरजाराम का होना पाया गया। श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम के नाम स्वीकृत टांका व मेडबंदी का कार्य मौके पर नही पाया गया जबकि ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा आरोपीगण श्री रामनिवास पागा तकनीकी सहायक (संविदा) श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी खांगटा, श्री महिपाल पिचियाक रोजगार सहायक, श्रीमती कैलीदेवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा एवं रामनिवास मुण्डेल सरपंच पुत्र, द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, आपराधिक षडयंत्र रचकर श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम लाभार्थी एवं श्री बुधाराम प्रो. बी.आर. गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी निवासी हीरादेसर से मिलीभगत कर उनके द्वारा बिना निर्माण सामग्री सप्लाई किये फर्जी बिल प्राप्त कर तथा फर्जी मस्टरोल भरकर मस्टरोल मे फर्जी नाम अंकित कर श्रमिको की हाजरी दर्शाकर कुल 95784/- रुपये का व्यय किया गया जाकर राज्य सरकार को सदोष हानि एवं स्वंय को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रमाणित पाया गया हैं। 25. रामदेव मंदिर से कटाणियो के मौहल्ले तक सी.सी.रोड निर्माण कार्यः- जांच से पाया गया कि उक्त विकास कार्य हेतु श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 3734-40 दिनांक 15.05.2008 जारी की गई। कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति संख्या 897 दिनांक 30.05.2008 की गई एवं उक्त कार्य का एस्टीमेन्ट तैयार किया गया। उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति अनुसार श्रम घटक मे 56,500/- रुपये एवं सामग्री घटक मे 3,43,500 /- रुपये इस प्रकार कुल 4,00,000/- रुपये की जारी करना पाया गया। उक्त विकास कार्य हेतु पंचायत समिति भोपालगढ के विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु जारी मस्टरोल संख्या 34635, 34636 एवं 34637 जारी किये गये। उक्त विकास कार्य हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा जारी उक्त मस्टरोल संख्या 34635 ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा दिनांक 16.08.2008 से 31.08.2008 तक मे 10 मजदूरो से कार्य करवाना दर्शाया गया है, जिसमें

उक्त श्रमिको द्वारा 13 दिन कार्य करना अंकित हैं। जिसका भुगतान कुल 13000/- रूपये उक्त मस्टररोल के तहत रोकड किया जाकर मस्टरोल को श्री झूमरराम तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया हैं। इसी प्रकार विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा जारी उक्त मस्टरोल संख्या 34636 ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा दिनांक 16.08.2008 से 31.08.2008 तक मे 10 मजदूरो से कार्य करवाना दर्शाया गया है, जिसमें उक्त श्रमिको द्वारा 13 दिन कार्य करना अंकित हैं। जिसका भुगतान कुल 16250/- रूपये उक्त मस्टररोल के तहत रोकड किया जाकर मस्टरोल को श्री झूमरराम तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया हैं। इसी प्रकार विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा जारी उक्त मस्टरोल संख्या 34637 ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा दिनांक 16.08.2008 से 31.08.2008 तक मे 10 मजदूरो से कार्य करवाना दर्शाया गया है, जिसमें 09 श्रमिको द्वारा 11 दिन एवं एक श्रमिक द्वारा द्वारा 13 दिन कार्य करना अंकित हैं। जिसका भुगतान कुल 25200/- रूपये उक्त मस्टररोल के तहत रोकड किया जाकर मस्टरोल को श्री झूमरराम तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया हैं। कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अनुसार श्रम मद मे 54500/-रुपये एवं सामग्री मद मे 3,05,500/- रुपये कुल 3,60,500/- रुपये का कार्य पूर्ण होना दर्शाकर उक्त राशि को समायोजित करना पाया गया हैं। तत्कालीन सरपंच श्री झूमराराम द्वारा कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर उस पर अपने एवं ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर होना पाये गये परन्तु उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रफोर्मा मे किसी भी प्रकार का विवरण अंकित नही कर खाली उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना पाया गया। उक्त कार्य की माप पुस्तिका के अवलोकन से उक्त कार्य के पेटे कुल 3,60,500/- रुपये के कार्य होने की पृविष्टी का अंकन करना पाया गया हैं उक्त माप पुस्तिका श्री रामचन्द्र चोधरी कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा भरी जाकर हस्ताक्षर करना पाया गया हैं। उक्त कार्य की विकास अधिकारी पीपाड शहर द्वारा सहायक अभियंता भगवानराम, कनिष्ठ अभियंता राजेन्द्र सेंवर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक सुमेरसिंह व लेखाधिकारी बाबुलाल फुलवारिया के नेतृत्व में तकनीकी टीम का गठन किया गया। तकनीकी टीम द्वारा परिवादी श्री रामनारायण की उपस्थिति में मौका पर जाकर तकनीकी जांच की गई। उक्त तकनीकी टीम द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट अंकित किया कि कार्य की पत्रावली की जांच करने पर सारे दस्तावेज पूर्ण पाये गये। भौतिक स्थित जांच करने पर माप पुस्तिका मद से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए 94,759/- रुपये की वसूली कार्यवाही की जाने के आदेश जारी किये गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत खांगटा के तत्कालीन सरपंच झुमरराम मेघवाल, तत्कालीन ग्राम सेवक श्री बरकत अली, श्री रामचन्द्र चोधरी तत्कालिन कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिति भोपालगढ एंव श्री तेजाराम चोधरी तत्कालिन सहायक अभियंता जिला परिषद जोधपुर ने सुनियोजित तरीका से आपराधिक षडयंत्र रचकर एकराय होकर अपने पद का दुरुपयोग कर सरकार को सदोष हानि व स्वयं को सदोष लाभ पंहुचाने के लिए उपरोक्त वर्णित कार्य के नाम पर फर्जी बिल वाउचर बनाकर फर्जी एम.बी. भरकर एंव फर्जी दस्तावेजात के आधार पर भुगतान उठाकर सरकार को कुल 94,759/- रुपये सदोष हानि एवं स्वंय को सदोष लाभ पहुंचाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण जांच से पाया गया कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 03 तक वर्णित कुल 03 विकास कार्य ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा नियमानुसार करवाया जाकर भुगतान करना पाया गया हैं। क्रमं संख्या 03 से क्रमं संख्या 06 तक अंकित कुल 03 विकास कार्य पूर्व मे ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 354/2019 मे अंकित होकर उक्त प्रकरण का अनुसंधान एसीबी चोकी जोधपुर शहर द्वारा किया जा रहा हैं। उपरोक्त क्रम संख्या 08 से क्रमं संख्या 19 तक के कुल 12 विकास कार्यो मे तकनीकी टीम द्वारा जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट विकास कार्यवाईज निकाली गई वसूली मे से श्री रामचन्द्र चोधरी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता द्वारा उक्त कुल 12 विकास कार्यो की अपने हिस्से की वसूली राशि 66,889/- रुपये जरिये चैक संख्या 000016/18.07.2023 द्वारा दिनांक 20.07.2023 को विकास अधिकारी कार्यालय पीपाड शहर मे जमा करवाना पाया गया हैं। इसी प्रकार क्रमं संख्या 10 से 11 व क्रमं संख्या 13 पर वर्णित कुल 03 विकास कार्यो तकनीकी टीम द्वारा जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट विकास कार्य वाईज निकाली गई वसूली मे से श्री बरकतअली तत्कालीन ग्रामसेवक गाम पंचायत खांगटा द्वारा उक्त 03 विकास कार्यो की अपने हिस्से की वसूली राशि 10,600/-रुपये जरिये रसीद संख्या 212 दिनांक 18.01.2018 , रसीद संख्या 274 दिनांक 30.10.2018 एवं रसीद संख्या 215 दिनांक 20.03.2018 द्वारा कार्यालय पीपाड शहर मे जमा करवाना पाया गया हैं, शेष विकास कार्यो मे निकाली गई वसूली के विरुद् श्री बरकतअली तत्कालीन ग्रामसेवक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करना पाया गया हैं। प्राथमिक जांच मे वर्णित आरोपी श्री रामनिवास मुण्डेल पुत्र श्री खेराजराम मुण्डेल निवासी खांगटा पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर की मृत्यु हो चुकी हैं। सम्पूर्ण जांच के दौरान लिये गये बयान गवाहान, आरोपीगण के अभ्यावेदन तथा प्राप्त किये गये दस्तावेजात के अवलोकन से पाया गया कि आरोपीगण 1 श्री सुखदेव सेंगवा तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिला परिषद जोधपुर 2 श्री तेजाराम तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिला परिषद जोधपुर 3 श्री रामचन्द्र चोधरी कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर 4 श्री रामनिवास पांगा तत्कालीन कनिष्ठ तकनिकी सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 5 श्री राजेश कुमार मीणा कनिष्ठ तकनिकी सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 6 श्री बरकत अली तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 7 श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 8 महीपाल पिचकिया रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खांगटा

जिला जोधपुर 9 श्री झुमरराम मेधवाल तत्का0 सरपंच, ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 10 श्रीमति केली देवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 11 श्री रामनिवास मुण्डेल पुत्र श्री खेराजराम जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (श्रीमति केली देवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर का पुत्र) 12 श्री भीयाराम सोमराड पुत्र श्री पुनाराम जाट प्रो. सोमराड कन्सट्रक्सन कम्पनी साथीन भोपालगढ जिला जोधपुर 13 श्री बुधाराम पुत्र श्री नारु राम जाट निवासी हीरादेसर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर प्रो. बी.आर. गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी 14 श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 15 श्री पारसराम पुत्र श्री पाबुराम मेघवाल निवासी खांगटा प्रो.फर्म मै0 पारसराम/पाबुराम मेघवाल एण्ड संस एवं अन्य द्वारा आपसी मिली भगत कर षडयंत्र रचकर, ग्राम पंचायत खांगटा के कम्र संख्या 07 से 25 तक मे वर्णित कुल 19 विकास कार्यो मे घटिया सामग्री उपयोग मे ली जाकर झूठे दस्तावेजात तैयार कर, उपरोक्त 19 विकास कार्यो के पेटे कुल 5,72,186/- रूपये का अधिक भुगतान करना पाया गया जिसमे से श्री रामचन्द्र तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता द्वारा अपने हिस्से की वसूली राशि 66,889/- रुपये तथा श्री बरकतअली द्वारा केवल 03 विकास कार्यो की अपने हिस्से की वसूली राशि 10,600/- रुपये इस प्रकार कुल 77,489/- रुपये पुनः राजकोष मे जमा करवाना पाया गया हैं। इस प्रकार उपरोक्त आरोपीगण द्वारा उक्त क्रसं07 से 19 तक के विकास कार्यो मे 4,94,697/- रुपये का अधिक भुगतान कर राज्य सरकार को सदोष हानि तथा स्वंय को सदोष लाभ प्राप्त करना जांच से प्रमाणित पाया गया हैं। अतः आरोपीगण 1 श्री सुखदेव सेंगवा तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिला परिषद जोधपुर 2 श्री तेजाराम तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिला परिषद जोधपुर 3 श्री रामचन्द्र चोधरी कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर 4 श्री रामनिवास पांगा तत्कालीन कनिष्ठ तकनिकी सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 5 श्री राजेश कुमार मीणा कनिष्ठ तकनिकी सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 6 श्री बरकत अली तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 7 श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 8 महीपाल पिचकिया रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 9 श्री झुमरराम मेधवाल तत्का0 सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 10 श्रीमति केली देवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 11 श्री भीयाराम सोमराड पुत्र श्री पुनाराम जाट प्रो. सोमराड कन्सट्रक्सन कम्पनी साथीन भोपालगढ जिला जोधपुर 12 श्री बुधाराम पुत्र श्री नारु राम जाट निवासी हीरादेसर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर प्रो. बी.आर. गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी 13 श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 14 श्री पारसराम पुत्र श्री पाबुराम मेघवाल निवासी खांगटा प्रो.फर्म मै0 पारसराम/पाबुराम मेघवाल एण्ड संस अन्य के विरूद् धारा 13 (1)(सी))(डी) 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 409, 420,467,468, 471,477ए, 120 बी भादस का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय (पारस सोनी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1)(सी))(डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409, 420,467,468, 471,477ए, 120 बी भादस में आरोपीगण 1. श्री सुखदेव सेंगवा पुत्र श्री दयाराम सेगवा उम्र 70 साल निवासी ग्राम धाणामगरा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिला परिषद जोधपुर 2. श्री तेजाराम पुत्र श्री गंगाराम उम्र 68 साल निवासी गांव देवानिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिला परिषद जोधपुर 3. श्री रामचन्द्र चोधरी पुत्र श्री उमाराम चोधरी उम्र 66 साल निवासी सरस्वती नगर जोधपुर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर 4. श्री रामनिवास पुत्र श्री मूलाराम पांगा उम्र 63 साल निवासी ग्राम रडौद, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर तत्कालीन कनिष्ठ तकनिकी सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 5. श्री राजेश कुमार मीना पुत्र श्री कल्याण सहाय मीना, उम्र 36 साल निवासी आउ पंचायत समिति आउ जिला फलोदी तत्कालीन कनिष्ठ तकनिकी सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर। 6. श्री बरकत अली पुत्र श्री बाबूखां उम्र 54 साल निवासी सुभाष घाट के पास पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर हाल. ग्राम विकास अधिकारी ग्रांम पंचायत खवासपुरा पंचायत समिति पीपाड शहर। 7. श्री रामनिवास प्रजापत पुत्र श्री सुखाराम उम्र 49 साल निवासी बागोरिया वाया भोपालगढ जिला जोधपुर तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 8. श्री महीपाल पिचकिया पुत्र श्री रामदीन उम्र 40 साल निवासी ग्राम खांगटा पंचायत तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर हाल-कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत खवासपुरा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर। 9. श्री झुमरराम पुत्र श्री घमण्डाराम मेघवाल उम्र 80 साल निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 10. श्रीमति केली देवी पत्नी स्व0 श्री खेराजराम मुण्डेल उम्र 75 साल निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा जिला जोधपुर 11. श्री भीयाराम सोमराड पुत्र श्री पुनाराम जाट उम 48 साल ग्राम साथीन पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर प्रो. सोमराड कन्सट्रक्सन कम्पनी साथीन

भोपालगढ जिला जोधपुर 12. श्री बुघाराम पुत्र श्री नारु राम जाट उम्र 50 साल निवासी हीरादेसर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर प्रो. बी आर गोदारा कन्सट्रक्सन कम्पनी 13. श्री मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम उम्र 62 साल निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर लाभार्थी 14. श्री पारसराम पुत्र श्री पाबुराम मेघवाल उम्र 45 साल निवासी खांगटा प्रो. फर्म मै0 पारसराम/पाबुराम मेघवाल एण्ड संस एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीपारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 423 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1169-78 दिनांक 27-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर। 2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद जोधपुर, 3- शासन उप सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4- संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5-जिला कलक्टर जोधपुर। 6- विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपाड शहर, जिला जोधपुर ग्रामीण 7- आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर 8-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 9-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण। 10-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (पी.ई.21/2022) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Paras Soni **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1954				
2	Male	1956				
3	Male	1958				
4	Male	1961				
5	Male	1988				
6	Male	1970				
7	Male	1975				
8	Male	1984				
9	Male	1944				
10	Male	1949				
11	Male	1976				
12	Male	1974				
13	Male	1962				
14	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)